

695
10/12/12

खण्ड-8

संख्या-11

दशम बिहार विधान-सभा

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(भाग-2 कार्यवाही प्रश्नोत्तर रहित)

वृहस्पतिवार तिथि 9 जुलाई, 1992 ई०।



सत्यमेव जयते

कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज

कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज

(इस अवसर पर सदन के वेल में कांग्रेस आई के माननीय सदस्य श्री रघुवंश प्रसाद सिंह, श्री जगदीश शर्मा, श्री दिग्विजय नारायण सिंह एवं श्री अवधेश कुमार सिंह अपने फटे कुर्ते को दिखलाते हुए आ गए और नारा लगाने लगे।)

सभापति (खड़े होकर): आप लोग अपनी सीट पर जाकर बोलिये, आपको बोलने का मौका हम दे रहे हैं।

(इस अवसर पर कांग्रेस आई के बहुत सारे माननीय सदस्य सदन के वेल में आ कर खड़े हो कर कुछ बोलने लगे।)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

श्री लालू प्रसाद : यह सरकार का निदेश है, रिपोर्ट हुआ कि ईटा-ढेला लोग फेक रहे हैं, वैसी स्थिति में सरकार का निर्देश था जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनको गिरफ्तार करें, जैसे- सत्येन्द्र बाबू, भागवत झा आजाद सहित कई लोग थे, आपका तो कुर्ता फटा है, सामने फटा है और कुछ नहीं हुआ। महोदय, तारिक अनवर जी के नेतृत्व में जुलूस और प्रदर्शन हो रहा है, तो डा० मिश्रा के दल के लोगों ने ऐसा किया होगा।

(व्यवधान)

(सदन के वेल में कांग्रेस आई के कुछ सदस्य बैठ गए)

श्री वृजमोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, कई सदस्यों का कुर्ता फटा है, आप देख रहे

कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज

हैं। आपके सामने सदन में हैं। बगल की बात है। आप वहां जा कर जानकारी ले लीजिए।

श्री लालू प्रसाद : आप लोगों का शानदार आन्दोलन हुआ, जुलूस हुआ और आप लोगों की गिरफ्तारी हुई है, तब आप लोग भाग कर बिना सरकार की रिहाई आदेश दिए हुए असेम्बली में कैसे चले आए।

(व्यवधान)

(सदन में जोरों का शोरगुल व्यवधान)

विरोधी पक्ष के अनेकों माननीय सदस्य सभा वेश्म में बैठे हैं।

श्री शकुनी चौधरी : मुख्य मंत्री जरा सोंचे। बहादुर सीने में गोली खाता है, पीठ में नहीं।

श्री लालू प्रसाद यादव : माननीय सदस्य श्री शकुनी चौधरी को वहां जाना चाहिये था। उनसे मिलना चाहिये.....

श्री शकुनी चौधरी : सभी को वहां जाने की जरूरत नहीं है। आप जरा खुद तो जाकर देखिए।

(शोरगुल व्यवधान)

श्री दिग्विजय प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, वहां अत्यन्त ही हालत खराब है। आप देखें। मेरा कुर्ता किस तरह से फटा हुआ है। पुलिस टूट पड़ी। मैंने कहा कि अरेस्ट करो। उसने कहा अरेस्ट नहीं करेंगे। विधायकी करते हैं

कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज

और मेरा कालर पकड़ वेंत तक चला दिया।

(जोरों का शोरगुल)

श्री लालू यादव : अध्यक्ष महोदय, हमको सदन में जानकारी मिल रही है, हम इसकी जांच करायेगे और माननीय सदस्य का कुर्ता फट गया है, उसको बन्दोबस्त हो जायेगा।

(हंसी)

हम आग्रह करते हैं कि वहाँ विरोधी दल नेता डाक्टर जगन्नाथ मिश्र स्वयम् भी वहाँ जायेंगे।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अपने अपने जगह पर चले जायें। माननीय मुख्य मंत्री स्वयम् जायें। सरकार की ओर से मुख्य मंत्री जायें।

श्री राजो सिंह : मुख्य मंत्री, यह कोई मजाक की बात नहीं है। आव स्वयम् वहाँ जाकर देखें।

श्री लालू प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, हमने कहा कि हम खुद देखने जायेंगे, आपलोगों यहाँ बैठे। इनका जो कुर्ता फटा गया है, उसका भी इन्तजाम करवा देंगे।

श्री राजो सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आज रैली में राज्य के वरिष्ठ लोग आंदोलन में भाग ले रहे थे और जिस तरह की घटना घटी है, उस पर मुख्य मंत्री ने कहा है कि इसकी वे स्वयं जांच करेंगे, उनसे मिलेंगे। मैं उनसे निवेदन करना

कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज

चाहता हूँ कि कोई ऐसी घटना नहीं घटी, जिस पर कि आपको कार्रवाई करने की जरूरत होगी, आप व्यक्तिगत तौर से उनसे मिले, उसके बाद उनको घर जाने की इजाजत दे दें।

श्री लालू प्रसाद : हमने पदाधिकारियों को निदेश दिया है, मुख्य सचिव को निदेश दिया है कि उन लोगों पर किसी पर किसी भी तरह की कार्रवाई न करें। ईंट-पत्थर चलने से कुछ हमारे पुलिसकर्मी घायल हुये हैं और कुछ नौजवान भी घायल हुये हैं, उनको वहां से हटाकर सचिवालय के पास लाया गया है। उनको वहां से हटाकर सचिवालय के पास लाया गया है जिसमें श्री सत्येन्द्र बाबू एवं श्री भागवत झा आजाद भी हैं। उनसे हम खुद मिल लेंगे, मिलकर जो बातें होगी वैसा हम करेंगे। यह तो कांग्रेस का आपस का मामला है।

(व्यवधान)

श्री राजो सिंह : अगर मुख्य मंत्री को ऐसा लगे कि यह अन्दरूनी मामला है, पोलिटिक्स के चलते ऐसा हुआ है। फिर भी मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आए उन्हें जा कर देखें और जो संभव कार्रवाई हो सके, करें। आप इसके लिये सक्षम हैं।

श्री लालू प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं राजो बाबू के सुझाव से सहमत हूँ। लेकिन पूरे बिहार के लोग, पूरे देश के लोग इस बात को जानते हैं कि यह उनका अन्दरूनी मामला है। अध्यक्ष महोदय, विजय बाबू सत्येन्द्र बाबू के भगीना संभवतः लगते हैं, वे सदन में बैठे हुये हैं। उनका लाजमी था कि वे जाकर

कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज

उनको देखते, अभी भी समय है, आप उनको जा कर देखें।

श्री महेन्द्र झा आजाद : अध्यक्ष महोदय, इतना बड़ा हादसा हुआ है और उसको मुख्य मंत्री इतने हलके ढंग से ले रहे हैं, यह अच्छी बात नहीं है।

अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री स्वयं जा कर देख लें।

श्री लालू प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, इतने बड़े-बड़े नेता हैं, इनको हम जेल भेजकर इनके राशन-पानी का इन्तजाम हम कहां से करेंगे।

श्री महेन्द्र झा आजाद : अध्यक्ष महोदय, हम स्वयं जाकर उनसे मिल लेंगे, तभी लोग यहां शांत रहें।

श्री योगेश्वर गोप : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझको बोलने के लिये कहा था, लेकिन इस तरह की घटना घट गई, अब मैं अपना भाषण प्रारम्भ कर रहा हूँ।

मैं कहना चाहता हूँ कि बिजली की जो दुर्दशा है हमारे राज्य में, इस दुर्दशा को यह कहकर नहीं टाला जा सकता कि यह कांग्रेस के खाकियों के चलते या जनता दल के खाकियों के चलते हुआ है, यह कहना बिल्कुल गलत होगा। पिछले 42 वर्षों से कांग्रेस शासन में रही, चाहे जो लोग भी हों, उनके समय में बिजली की दुर्दशा हुई है। बिजली की जो स्थिति है, उसमें सुधार लाने के लिये कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब मैं अपने क्षेत्र में बात एक मिनट में कहना चाहता हूँ.....

अध्यक्ष : अब सरकार का जबाब होगा। माननीय मंत्री।

कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज

श्री तुलसी दास मेहता : अध्यक्ष महोदय, सदन के माननीय सदस्यगण भाषण के दौरान जो बातें कही हैं, उन्होंने जो सुझाव दिया है उसको हमने गंभीरता से लिया है और उसको हम अमल में लायेंगे। बिजली जीवन में बहुत आवश्यक चीज है। जिस तरह से जीवन के लिये हवा, पानी, खाना आवश्यक है, बिजली भी उसी तरह से जीवन के लिये आवश्यक है।

श्री तुलसीदास मेहता : माननीय सदस्य ने काफी रोष प्रकट किया और कहा कि बिजली की स्थिति बहुत बदतर है इस प्रान्त की लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या बिजली की स्थिति दो वर्षों में ऐसी बन गयी है। 42 वर्षों में जिसका राज्य इस प्रान्त में रहा है, इस देश में रहा है तो साल-दो साल में कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। महोदय, इस राज्य में सबसे बड़ी बात है जो विपरीत परिस्थिति इस बिजली के संबंध में है उसमें सबसे पहला यह है यह पूंजी निवेश उद्योग है और इसमें पूंजी काफी लगता है और बिना भारत सरकार की मदद से कोई परियोजना नहीं बन सकती है। 1966 में इस प्रान्त में सबसे पहले एक बरौनी में बना, एक मुजफ्फरपुर में कौंटी थर्मल बना, पतरातू बना और इतने दिनों में सिर्फ 1530 मेगावाट की क्षमता की परियोजना इस प्रान्त में लगाया जा सका। बंगल में उत्तर प्रदेश है वहाँ पाँच हजार मेगावाट की क्षमता है, आसाम है वहाँ पाँच हजार मेगावाट की क्षमता है, कर्नाटक है वहाँ चार हजार मेगावाट की क्षमता है। इस तरह से आप देखेंगे कि बिहार के साथ बहुत भेदभाव बरता जाता रहा है और कांग्रेस की सरकार यहाँ थी और किसी ने इसके लिए लड़ाई नहीं किया, किसी ने संघर्ष नहीं किया। सदन को हमारे माननीय मुख्यमंत्रीको धन्यवाद देना चाहिए कि दो वर्षों के अन्दर जो इन्होंने बिजली के लिए

कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज

किया, इन लोगों ने 40-42 वर्षों तक नहीं किया। हमारे माननीय मुख्यमंत्रीने कोयल कारो की 740 मेगावाट की परियोजना की मंजूरी लेकर लाये, कहलगाँव में चालू करवाया। यह बात सही है कि वह केन्द्रीय परिक्षेत्र की चीज है लेकिन मुख्यमंत्री ने दिल्ली जाकर हिम्मत के साथ, मुस्तैदी के साथ भारत सरकार से, उनके मंत्री से, उनके अफसर से ऊर्जा के बारे में बात करते थे।

डा० जगन्नाथ मिश्र : आपको अवसर नहीं मिलता था और लोग यह भी नहीं जानते थे कि आप ऊर्जा मंत्री हैं, आज सदन को मालूम हो गया है कि आप ऊर्जा मंत्री हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में भाषण समाप्त कर दूंगा। कांग्रेस के साथियों और विधायकों पर इनके पुलिस ने ज्यादाती की है, निर्माता की है, आप इसकी जाँच कराइए और अपना मतव्य दें और दोषी को दंडित करें कि छात्र संगठन पर, युवा कांग्रेस संगठन पर ज्यादाती की है, लाठी चलवाया है, क्यों चलवाया है, लोकतांत्रिक कार्रवाई को क्यों रोकना चाहते हैं। इसलिए पूरा विवरण आप प्रस्तुत करें।

श्री तुलसीदास मेहता : अध्यक्ष महोदय, इस राज्य की आबादी देश की देश की आबादी का दसवाँ प्रतिशत है लेकिन बिहार में विद्युत में ऊर्जा क्षेत्र में देश में पूँजी निवेश का चार से पाँच प्रतिशत ही हुआ है। भारत सरकार ने जब इस तरह का भेदभाव किया तो उस समय ये लोग कहों थे, क्यों नहीं वे लोग आवाज उठाये, क्यों नहीं कहे कि यहाँ अन्याय हो रहा है, जुल्म हो रहा है। सारे देश में ऊर्जा प्रसेन में केन्द्र सरकार द्वारा जो विभिन्न क्षेत्रों में निवेश किया है उसका पूर्वी क्षेत्र में 6.5 प्रतिशत, उत्तरी क्षेत्र में 29.8

कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज

प्रतिशत और पश्चिमी क्षेत्र में 20 प्रतिशत और दक्षिणी क्षेत्र में 22.1 प्रतिशत है। यह कहाँ का न्याय है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि एक-दो वर्षों में ये क्या प्रगति चाहते हैं। चालीस वर्षों तक इन्होंने राज्य किया, उन दिनों इन लोगों का मुँह नहीं खुलता था, यहाँ का उद्योग पिछड़ा है, कृषि पिछड़ा है, आप बिजली का इन्तजाम करें लेकिन ये एक-दो वर्षों से हिसाब खोज रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, बिहार में थर्मल पावर कोल पर आधारित है लेकिन गुणवत्ता के कोयले की आपूर्ति होने के कारण उत्पादन में ह्रास होता है तथा प्लांट लोड फैक्टर में कमी होती है जबकि बिहार में ही अच्छा कोयला दूसरे राज्यों को जाता है। बिहार में हाईड्रल परियोजना आज तक नहीं दिया लेकिन मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने 740 मेगावाट की कोयल कारो की जो योजना थी उसको अपने परिश्रम से लाया।

श्री अम्बिका प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है कि माननीय विरोधी दल के नेता डा० जगन्नाथ मिश्र ने जो सवाल उठाया उसका जबाब पत्र में लिखकर माननीय मुख्यमंत्री ने भेज दिया। मैं जानना चाहता हूँ और यह सदन जानना चाहता है कि उन्होंने क्या लिखकर दिया?

श्री तुलसीदास मेहता : अध्यक्ष महोदय, पूँजी निवेश में कमी के कारण बिहार में प्रतिष्ठापित क्षमता केवल 1530 मेगावाट है जो काफी कम है, ऐसा क्यों हुआ? बिहार में तापीय एवं जल विद्युत का अनुपात भी असंतुलित होने के कारण विद्युत की समस्या गंभीर है। जल विद्युत की क्षमता विभिन्न क्षेत्रों में इस प्रकार है। उत्तरी क्षेत्र में देश की पूरी क्षमता का 17 प्रतिशत, दक्षिण

कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज

क्षेत्र में 48 प्रतिशत, पश्चिम क्षेत्र में 24 प्रतिशत और पूर्वी क्षेत्र में 11 प्रतिशत है और इसी में बिहार आता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने इसके लिए आवाज क्यों नहीं उठायी कि बिहार के साथ अन्याय हो रहा है। जो प्रतिष्ठापति क्षमता है उसको क्यों नहीं लगाया, बड़ी-बड़ी योजनाओं को क्यों नहीं लगाया, इसका क्या कारण है? अध्यक्ष महोदय, विद्युत उत्पादन में मुख्य कमी का कारण यह भी है कि जैसा मैंने पहले भी कहा कि कोयला भारत के अन्दर आता है, कोयला की सप्लाई नहीं होती है दूसरा कारण है कि अन्य राज्यों की तुलना में बिहार में कम इन्फ्रेस्ट्रक्चर के क्षेत्र में आज तक हुआ है इसलिए हमलोग एक पैसा भी दोषी नहीं हैं, शत प्रतिशत आपलोग दोषी हैं जिसके कारण बिजली की स्थिति बनी हुई है। आपने ट्रान्समीटर लाइन नहीं बनाया, थर्मल नहीं बनाया, हाईडल नहीं बनाया और दोष हमलोग को दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हम बिजली खरीदते हैं भारत सरकार से, इसमें भी अन्याय हो रहा है। विभिन्न क्षेत्रों के लिए जो टैरिफ, बिजली की कीमत निर्धारित की गयी है वो उत्तरी क्षेत्र के लिए 51.70 पैसे प्रति यूनिट, पश्चिम क्षेत्र के लिए 47.90 पैसे प्रति यूनिट, दक्षिण क्षेत्र के लिए 60.70 पैसे प्रति यूनिट और पूर्वी क्षेत्र के लिए 80.44 पैसे प्रति यूनिट है। अध्यक्ष महोदय एन०टी०पी०सी० और डी० भी० सी० का जो करोड़ों रूपया का बकाया है, यह हमलोगों के समय का नहीं है, यह इनलोगों के समय का बकाया है। अध्यक्ष महोदय, दो वर्षों के अन्दर हमने क्या उपलब्धियाँ हासिल की हैं उसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि वर्ष 91-92 में 2592.60 लाख मेगावाट बिजली पैदा किया, ग्रामीण विद्युतीकरण में हमारा लक्ष्य था 350 गाँव हमलोगों ने उपलब्धि 517 गाँव

कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज

किया, पम्पसेंटो का विद्युतकरण का लक्ष्य था दो हजार और उपलब्धि हुआ 2712, हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण का लक्ष्य था पाँच सौ ग्राम और उपलब्धि हुई 129 गाँव, 400 के०बी० लाईन का निर्माण 20 सर्किट कि०मी० में किया, 220 के०बी० लाईन का निर्माण 108 सर्किट किलोमीटर, 132 के०भी० लाईन का निर्माण 9 सर्किट कि०मी० 33 के०भी० का लाईन 115.30 सर्किट कि०मी० में किया, 132.33 के०मी० ग्रीड सब स्टेशन एक बना, 33/11 के०भी० विद्युत उपकेन्द्र 15 लगाया, वितरण उपकेन्द्र 586 लगाया।

श्री लालू प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री कह रहे हैं कि इनके समय में गंगा पार नहीं कर पाया था, इन्होंने बिजली को गंगा के पार टपा दिया है।

श्री तुलसीदास मेहता : अध्यक्ष महोदय, राजस्व वसूली के मद में 485 करोड़ प्राप्त हुआ। थर्मल पावर स्टेशनों में कुशल प्रबंधक करके करीब दस करोड़ रुपये की खपत तेल में बचत करके की गयी।

तेनुघाट ताप विद्युत परियोजना चरण-1 (2X210) का निर्माण राज्य सरकार के उपक्रम तेनुघाट विद्युत निगम लि०द्वारा कराया जा रहा है। उस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 786.09 करोड़ रुपये है; जिसमें राज्य सरकार से प्राप्त राशि एवं पावर फाइनेन्स कारपोरेशन से ऋण लेकर इस परियोजना पर मार्च 1992 तक 634.41 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। आशा की जाती है कि उस परियोजना की प्रथम इकाई कमीशनिंग दिसम्बर 92 तथा दूसरी इकाई मार्च 93 में हो जायेगी। इस परियोजना के आरंभ हो जाने से राज्य की विद्युत संकट की समस्या का काफी हद तक निदान हो जायेगा।

कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज

महोदय, कहलगांव सुपर थर्मल प्रोजेक्ट प्रथम चरण 4X210 मेगावाट प्रथम इकाई 210 मेगावाट की उर्जान्वित की जा चुकी है। द्वितीय इकाई दिसम्बर तक चालू होने वाली है।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने यह कहा है कि हम इकाई 210 मेगावाट की उर्जान्वित की जा चुकी है। द्वितीय इकाई दिसम्बर तक चालू होने वाली है।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने यह कहा है कि हम तमाम गांवों में झोपड़ियों में बिजली पहुंचाएंगे जहां सदियों से अंधेरा था।

(व्यवधान)

महोदय, अपारम्परिक उर्जा में हमारी उपलब्धि है, बायोगैस संयंत्रों का निर्माण-4207, उन्नत चूलहों का निर्माण 94,000 पवन पम्पों की स्थापना -56, सोलर कुकर की स्थापना -165, सोलर लाइट 10, ऊर्जा ग्राम के लिए 50 गांवों का सर्वेक्षण किया गया है।

(इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यगण सदन के बीच में चले आये।)

महोदय, कदवन जल विद्युत परियोजना 450 मेगावाट का तथा कनहर जल विद्युत परियोजना 300 मेगावाट का लिया जा रहा है।

महोदय, बोर्ड की वार्षिक योजना 92-93 के लिये ग्रामीण विद्युतीकरण के

कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज
लिए भारत सरकार से स्वीकृत राशि 22.25 करोड़ रुपये है नये ग्रामों का
विद्युतीकरण का लक्ष्य 365, पम्प सेटों का उर्जान्वयन 3960, बायोगैस
संयंत्रों का निर्माण 3500, उन्नत चूल्हों का निर्माण / विक्री 80,000।

अब मैं माननीय सदस्य, श्री राजो सिंह से निवेदन करना चाहता हूँ कि वे
अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री राजो सिंह अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लेना
चाहते हैं?

श्री राजो सिंह : इच्छा तो हुआ होती है, माननीय मंत्री श्री तुलसी दास मेहता
आज इंडीपेंडेंट हो गये हैं, फ्री हो गये हैं लेकिन कर्तव्य बाध्य करता है
कि वापस नहीं लेना चाहिए।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

“इस शीर्षक की मांग १० रुपये से घटाई जाय।”

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूँ।

प्रश्न यह है कि :-

“विद्युत के संबंध में 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर
भुगतान के दौरान में जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए 3,39,09,00,000
(तीन अरब उनचालीस करोड़ नौ लाख) रुपये से अनधिक राशि प्रदान की
जाय।”

कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

मांग स्वीकृत हुई।

याचिकाओं का उपस्थापन

अध्यक्ष : बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया एवं कार्य- संचालन नियमावली के नियम 267 के तहत निम्नलिखित सदस्य अपने नाम के सामने स्वीकृत याचिकाओं को सदन में उपस्थित करेंगे।

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| 1- श्री दिनेश चन्द्र यादव, | सं.वि.सं. - 13 |
| 2- श्री रामजी लाल शारदा | सं.वि.सं. - 07 |
| 3- श्री सरयुग मंडल | सं.वि.सं. - 07 |
| 4- श्री सत्यनारायण सिंह | सं.वि.सं. - 04 |
| 5- श्री थियोडोर किडो | सं.वि.सं. - 04 |
| 6- श्री दिलीप वर्मा | सं.वि.सं. - 02 |
| 7- श्री जीतवाहन बराईक | सं.वि.सं. - 02 |
| 8- श्री शाहिद अली खान | सं.वि.सं. - 01 |
| 9- श्री काली दास मुर्मू | सं.वि.सं. - 01 |
| 10- श्री वेणी प्रसाद गुप्ता | सं.वि.सं. - 01 |

याचिकाओं का उपस्थापन

11-श्री विश्वनाथ सिंह	स०वि०स० - 01
12-श्री रेवाकान्त द्विवेदी	स०वि०स० - 01
13-श्री जवाहीर प्रसाद	स०वि०स० - 01
14-श्री अमर नाथ तिवारी	स०वि०स० - <u>01</u>

कुल 46 याचिकायें

ये सभी याचिकायें सभा की सहमति से उपस्थापित समझी जायें।

निवेदन

कुल मान्य निवेदनो की संख्या 37 है। सदन की अनुमति से इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिये जायें।

अब सभा की बैठक कल शुक्रवार, दिनांक 10 जुलाई 1992 के 11.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है।

पटना

तिथि: 9 जुलाई, 1992

युगल किशोर प्रसाद

सचिव

बिहार विधान सभा

दैनिक निबंध

दैनिक निबंध:

कार्य-स्थगन प्रस्ताव का सूचनाएँ:

(1) दिनांक- 10.4.92 को श्री राजेन्द्र सिंह, स०वि०स० की हत्या केके सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्री अजीत सरकार..... सूचना दी।

(11) माननीय सदस्य श्री वृजमोहन.....थाने के रूबुआ ग्राम में दिनांक- 8.7.92 को असामाजिक.....के घर जला दिए जाने से उत्पन्न स्थिति विषयक अपनी कार्य-स्थगन की सूचना।

.....सदस्य श्री अजित सरकार द्वारा प्रस्तुत कार्य-स्थगन प्रस्ताव .
.....स्वीकृति हेतु आसन पर दबाव डालने के उद्देश्य से भारतीय.....
.....मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी के कई माननीय सदस्य सदन के "बेल" में आ गए।

सरकार की तरफ से माननीय मंत्री श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा ने संबंधित घटना की जाँच कर आवश्यक कार्रवाई करने का सदन को आश्वासन दिया।

लेकिन उपर्युक्त आश्वासन के बावजूद विपक्ष के कई माननीय सदस्यों ने आसन से अनुरोध किया कि चूंकि संबंधित मामला एक माननीय सदस्य से जुड़ा है, अतः सरकार ने इस पर वक्तव्य दिलाया जाय।

इस क्रम में नेता, विरोधी दल, डा० जगन्नाथ मिश्र ने कहा कि चूंकि संबंधित विधायक अपने आपको असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, अतः मामले की

दैनिक निबंध

जांच सदन की एक विशेष समिति का गठन कर किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय ने संबंधित माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र सिंह को घटना की जानकारी देने हेतु कहा एवं माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र सिंह ने संबंधित घटना की विस्तृत जानकारी सदन को दी।

तदुपरान्त, अध्यक्ष महोदय, से संबंधित घटना की जांच एवं प्रतिवेदन हेतु सदन की एक विशेष समिति बनाने की घोषणा की।

अध्यक्ष महोदय की उपर्युक्त घोषणा के बावजूद विपक्ष के अधिकतर माननीय सदस्य पुनः सदन के "वेल" में आ गए एवं घटना से संबंधित आरक्षी उपाधीक्षक को तत्काल निलम्बित करने की मांग सरकार से करने लगे।

अध्यक्ष महोदय ने सदन की भावना के आलोक में पुनः घोषणा की कि वे संबंधित घटना की जांच एवं प्रतिवेदन हेतु एक विशेष समिति का गठन कर ही कर देंगे एवं इस क्रम में वे समिति से गुजारिश करेंगे कि समिति 15 दिनों के अन्दर अपना प्रतिवेदन समर्पित करें।

लेकिन सदन के "वेल" में उपस्थित विपक्षी सदस्य इससे संतुष्ट नहीं हुए एवं शोर-गुल का माहौल व्याप्त रहा।

इस क्रम में माननीय मंत्री श्री इलियास हुसैन ने भी कहा कि सरकार संबंधित माननीय सदस्य की सुरक्षा की समुचित व्यवस्था करेंगी।

(अन्तराल)

अन्तराल के बाद भी जब सभा की कार्यवाही प्रारम्भ हुई तो पुनः नेता,

दैनिक निबंध

विरोधी दल, डा० जगन्नाथ मिश्र ने उक्त घटना से संबंधित आरक्षी उपाध शिक्षक को निलम्बित करने की माँग की।

उपर्युक्त मांग पर जोर डालने के निमित्त कई माननीय सदस्य सदन के "बेल" में भी आ गए।

इस क्रम में कई माननीय सदस्यों यथानामित सर्वश्री. राम परीक्षण साहू, रमेन्द्र कुमार, रामाश्रय सिंह, उपेन्द्र नाथ दास, योगेश्वर गोप, रघुनाथ प्रसाद सोडानी, सुशील कुमार मोदी आदि ने अपने-अपने विचार व्यक्त किए।

माननीय मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद ने सरकार की तरफ से संक्षिप्त रूप से घटना की जानकारी देते हुए समुचित कार्रवाई करने का सदन को आश्वासन दिया।

लेकिन विपक्ष के माननीय सदस्य अध्यक्ष महोदय से नियमन की मांग करते हुए हुए आरोपित पदाधिकारी के स्थानान्तरण की मांग पर जोर देते रहे।

अध्यक्ष महोदय ने अपने पूर्व में दिए गए नियमन को पुनः दुहराते हुए कहा कि वे संबंधित घटना की जांच एवं प्रतिवेदन हेतु सदन की एक विशेष समिति का कल या परसो तक गठन कर देंगे जो 15 दिनों के अन्दर अपना जांच प्रतिवेदन देंगी।

इस क्रम में माननीय मुख्यमंत्री ने भी सदन की भावना के आलोक में आरोपित पदाधिकारी को कल तक स्थानान्तरित कर देने का सदन को आश्वासन दिया।

दैनिक निबंध

तदुपरान्त सदन में शांति बहाल हो गई।

वित्तीय कार्य:- वर्ष १९९२-९३ के आय-व्ययक में सम्मिलित

अनुदानों की मांगों पर मतदान: "विद्युत"

प्रभारी ऊर्जा, मंत्री श्री तुलसी दास मेहता ने "विद्युत" के संबंध में मांग पेश की।

इस मांग के अन्तर्गत माननीय सदस्य श्री राजो सिंह ने राज्य सरकार की विद्युत नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

उपर्युक्त मांग एवं उसके अन्तर्गत प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव पर हुए वाद-विवाद में निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया:-

(1) श्री शकुनी चोधरी,

(इस अवसर पर सभापति, श्री इन्दर सिंह, नामधारी ने आसन ग्रहण किया)

(2) श्री राम प्रकाश महतो,

(3) श्री जवाहिर प्रसाद,

(4) श्री यमुना सिंह,

(5) श्री लेबिन हेम्ब्रम,

दैनिक निबंध

(6) श्री राम परीक्षण साहु,

याचिकाओं का उपस्थापन.

बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया एवं कार्य- संचालन नियमावली के नियम 267 के तहत निम्नलिखित सदस्यों ने अपने नाम के सामने स्वीकृत याचिकाओं को सदन में उपस्थित किया।

निवेदन

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि आज के लिए कुल 37 निवेदनों को सदन की सहमति से आवश्यक कार्रवाई हेतु सम्बन्धित विभागों को भेज दिया जायेंगे।

अब सभा की बैठक कल शुक्रवार, दिनांक 10 जुलाई 1992 के 11.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है।

बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 295 एवं 296 के अनुशरण में नव बिहार प्रिंटिंग प्रेस, बोरींग रोड, पटना-1 द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।